प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.07.2026

गाजियाबाद पुलिस का अपराध के विरुद्ध सशक्त अभियान

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत अवैध मादक पदार्थो की तस्करी / बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान मे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में विभिन्न माध्यम से गाँजा, स्मैक व चरस की तस्करी व बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 03 शातिर सदस्य गिरफ्तार , जिनके कब्जे से 21 किलो 304 ग्राम गांजा बरामद ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के नेतृत्व में दिनाँक- 27/07/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना विजयनगर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में विभिन्न माध्यम से गाँजा, स्मैक व चरस की तस्करी व बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 03 शातिर सदस्यों को काशीराम आवास के पास कब्रिस्तान गेट के पास थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 21 किलो 304 ग्राम गाँजा बरामद किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता

1.परमार्थ गर्ग पुत्र स्व0 शिवनारायण निवासी प्लाट नं0 62 प्रथम तल गणेश वाटिका गोविन्द पुरम थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष शिक्षा- 12वीं पास

2.मोईन पुत्र अकबर निवासी फ्लैट नं0 904 पार्लियामेंट अपार्टमेंट सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष शिक्षा- 8वीं पास

3.सलूना पत्नी वसीम निवासी फ्लैट नं0 904 पार्लियामेट अपार्टमेंट सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष शिक्षा- 8 वीं पास

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त परमार्थ गर्ग ने पूछताछ करने पर बताया कि वह गोविन्दपुरम गाजियाबाद मे अपने परिवार के साथ रहता है तथा 12वीं तक पढा है, वह पिछले काफी समय से गाजियाबाद मे अवैध गाँजा, चरस, स्मैक आदि मादक पदार्थो की तस्करी/ बिक्री कर रहा है, तथा पहले वह अवैध शराब बिक्री का कार्य करता था अभियुक्त परमार्थ गर्ग ने बताया गया कि वह विजेन्द्र यादव जो कि शर्फाबाद सेक्टर 73 नोएडा का रहने वाला है उसी के साथ बिहार से गाँजा खरीदकर लाते है तथा यहाँ लाकर मुनाफे पर बेच देते है ,अभियुक्ता सलूना ने पूछताछ पर बताया कि पकड़ा गया अन्य अभियुक्त मोईन उसका ममेरा भाई है तथा मेरे साथ ही रहता है, हम पिछले काफी समय से गाजियाबाद मे अवैध गाँजा,चरस,स्मैक आदि मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री कर रहे है । मै और मेरा ममेरा भाई मोईन दोनो पिलखुआ स्थित खान ट्रेडर्स तथा शहनाज निवासी दिलशाद गार्डन दिल्ली से गाँजा व स्मैक खरीद कर लाते है तथा यहाँ लाकर मुनाफे पर बेच देते है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों ने बताया कि उक्त काम से ये लोग काफी लाभ प्राप्त करते है जिसको आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है, जिससे ये लोग अपने शौक पूरे करते है तथा अपने घर के खर्चे चलाते

है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा विभिन्न स्कूलों / कॉलिजो एंव हॉस्टल के आस पास गाँजा ,चरस,स्मैक आदि मादक पदार्थ की सप्लाई की जा रही थी, गिरफ्तार अभियुक्तों के पकडे जाने से निश्चित तौर पर स्कूल / कॉलिजों में मादक पदार्थों की सप्लाई / बिक्री पर अंकुश लगेगा।

आपराधिक इतिहास –

अभियुक्ता सलूना पत्नी वसीम निवासी फ्लैट नं0 904 पार्लियामेंट अपार्टमेंट सिद्धार्थविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद।

1. मु0अ0स0- 1058/2015 धारा- 323,427 आईपीसी थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद।
2. मु0अ0स0- 1375/2017 धारा- 13 जुआ अधिनियम थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद।
3. मु0अ0स0- 827/2024 धारा- 8/20/22 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद।
4. मु0अ0स0- 59/2026 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद।
5. मु0अ0स0- 399/2026 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद।

अभियुक्त मोईन पुत्र अकबर निवासी उपरोक्त।

1. मु0अ0स0- 893/2024 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद।
2. मु0अ0स0- 399/2026 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद।

अभियुक्त परमार्थ गर्ग उर्फ लाला पुत्र स्व0 शिवनारायण निवासी सी 62 प्रथम तल गणेश वाटिका गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद।

1. मु0अ0स0- 242/2020 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद।
2. मु0अ0स0- 399/2026 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर कमि0 गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1. गाँजा – कुल 21 किलो 304 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2.थाना विजयनगर पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.09.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादी श्री आस मौहम्मद द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. मुस्तकीम पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी जे.जे. कॉलोनी थाना भारत नगर दिल्ली 2. यमीन उर्फ मीन्ना पुत्र सलीमुद्दीन निवासी खन्नानगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद 3. रियाज कुरैशी निवासी मौहल्ला व्यापारियान लोनी गाजियाबाद 4. युसूफ कुरैशी निवासी मौहल्ला व्यापारियान लोनी गाजियाबाद द्वारा आवेदक के प्लाट के फर्जी दस्तावेज बनाकर बैनामा अपने हक में करा लेना और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्लाट/मकान को खाली करने के लिए धमकाना तथा आवेदक द्वारा प्लाट/मकान खाली न करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धारा-

318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(2)/ 351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तों 1. यमीन 2. रियाज कुरैशी 3. युसूफ कुरैशी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।

आज दिनांक 27.07.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुस्तकीम अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी जे.जे. कॉलोनी थाना भारत नगर दिल्ली, उम्र करीब 41 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर आवेदक के प्लाट का फर्जी बैनामा अपने नाम तैयार करा लिया था तथा उसी फर्जी बैनामे को लेकर मैं आवेदक से उसका प्लाट जिस पर वह अपना मकान बना कर रहने लगा था, उसे खाली कराना चाहता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मुस्तकीम अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी एल ब्लॉक जे.जे. कॉलोनी थाना भारत नगर दिल्ली, उम्र करीब 41 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 26.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र शीशपाल निवासी संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह तमंचा मैंने लोगों में अपना रौब जमाने तथा डराने धमकाने के लिए अपने पास रखा हुआ था। मैं इस तमंचे को लेकर बाहर निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

राहुल शर्मा पुत्र शीशपाल निवासी संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसके विरुद्ध पूर्व में भी थाना लोनी पर 01 अभियोग दुष्कर्म का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग मे वांछित 25000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.07.2026 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना सिहानी गेट के मु0अ0स0 0171/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 25000/- रुपये का इनामी वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया की मैं अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त एवं तस्करी का कार्य करता था तथा गिरोह के सदस्य आपस में मिलकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहते थे। अभियुक्त ने बताया कि पूर्व में मादक पदार्थों की तस्करी के एक प्रकरण में थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

अभियुक्त का नाम व पता

वसीम पुत्र अलीमुद्दीन, उम्र 32 वर्ष निवासी मरकज मस्जिद वाली रोड टूटी लाइन के पास थाना कोतवाली नगर कमि0 गा0बाद।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर उक्त अभियोग के अतिरिक्त 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त को चोरी की 01 मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार।

दिनांक 27.07.2026 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा दौराने देखरेख शान्ति व्यवस्था व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद के मु0अ0सं0 196/2026 से सम्बन्धित

चोरी की एक मोटरसाईकिल सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया की दिनांक 16.07.2026 को वह घंटाघर, थाना कोतवाली क्षेत्र के पास घूम रहा था। वहीं एक दुकान के सामने एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। उस समय उसे पैसों की आवश्यकता थी, जिससे उसके मन में मोटरसाइकिल चोरी करने का लालच आ गया। अवसर पाकर उसने उक्त मोटरसाइकिल चोरी कर ली और उसे अपने कब्जे में रख लिया। आज वह उक्त चोरी की मोटरसाइकिल को बेचकर उससे धन प्राप्त करने के उद्देश्य से जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा उसे मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता

नकुल पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम खिलवाई थाना गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर उक्त अभियोग के अतिरिक्त, जनपद हापुड़ के थाना सिम्भावली में 02 व थाना बहादुरगढ में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा मोबाईल चोरी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी का मोबाईल बरामद।

दिनांक 23.07.2027 को वादी श्री गौरव शर्मा पुत्र श्री सुखपाल शर्मा निवासी गली न0 4 सेवा नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि मै अपने आफिस नोएडा से अपने घर वापस आ रहा था कि रास्ते में चौहान प्रपर्टी के ऑफिस से पहले साउथ ईस्ट मशीनरी जैक कंपाउंड के गेट के सामने कुछ लडकों ने मुझसे बीडी मांगी, मैने मना किया तो मुझे बातो में उलझा कर मेरे जेब से मेरा मोबाईल निकाल लिया। उक्त घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 27.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर ठगी करने वाले व्यक्तियों को हिण्डन विहार को जाने वाले रास्ते पर करीब 30 मीटर की दूरी पर मय चोरी के मोबाइल ONE PLUS मोबाइल फोन का IMEI No-868218052813051, 868218052813044 के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर अपने जुर्म को इकबाल करते हुए बताया कि साहब हमने अपने खर्चे व नशा करने के लिए मोबाइल चोरी कर लिया था। आज भी हम चोरी करने के इरादे से घूम रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अभिषेक पुत्र अशोक निवासी गली नं0 8 घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष
2. सन्दीप पुत्र विजय पटेल निवासी गली नं0 10 सेवानगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
3. सूरज पुत्र फूलचन्द निवासी गली नं0 9 सेवानगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी संबंधी 02 अभियोग पंजीकृत है।
2. अभियुक्त सूरज उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी संबंधी 02 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

एक मोबाईल ONE PLUS

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा स्कूटी चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी स्कूटी बरामद।

घटना का विवरण:- दिनांक 26.07.2026 को वादी श्री मुकेश पुत्र श्री राज सिह निवासी जीडीए फ्लैट, अर्थला मोहन नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा थाना साहिबाबाद पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 25.07.2026 को रात्रि को मेरे घर के नीचे खड़ी मेरी स्कूटी को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया है। वादी द्वारा स्कूटी चोरी होने के संबध में लिखित तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर तत्काल 303(2) बीएनएस धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम मे दिनांक 26.07.2026 को चैंकिग के दौरान 02 अभियुक्तों 1. **राहुल कुमार गुप्ता पुत्र मनेन्द्र गुप्ता निवासी ए 514 जी डी ए फ्लैट संजय कॉलौनी थाना साहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. जाहिद पुत्र ताहिर निवासी किराये का रुस्तम का मकान सरकारी लैट्रिन के पीछे साई गली संजय कॉलौनी थाना साहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब उम्र 22** को हज हाउस के पास अर्थला साहिबाबाद से चोरी की एक्टिवा सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 303(2)/317(2) की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग रात्रि मे अंधेरे का फायदा उठाकर जब गली मे शन्नाटा हो जाता है तब घरो के बाहर खडे वाहन चोरी करते है तथा चोरी किये गये वाहन को कबाडी/जरूरतमन्द लोगो को औने-पौने दाम मे बेचकर पैसे कमाते है पैसो को आपस मे बांट लेते है और अपना खर्च चलाते

है। हम दोनो ने करीब 02 दिन पहले यह स्कूटी अर्थला से चोरी की थी। चोरी की स्कूटी को हम बेचने की फिराक मे थे जो आपने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. **राहुल कुमार गुप्ता पुत्र मनेन्द्र गुप्ता निवासी ए 514 जी डी ए फ्लैट संजय कॉलौनी थाना साहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।**
2. **जाहिद पुत्र ताहिर निवासी किराये का रुस्तम का मकान सरकारी लैट्रिन के पीछे साई गली संजय कॉलौनी थाना साहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब उम्र 22।**

बरामदगी का विवरणः-

1. चोरी की गयी स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- **अभियुक्तों के विरूद्ध 01 अभियोग चोरी का थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत है।**
- अभियुक्त राहुल पुत्र मनेन्द्र के विरूद्ध **01 अभियोग आर्म्स एक्ट / हत्या का प्रयास तथा 01 अभियोग मारपीट/बलवा का थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत है।** कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम गाजियाबाद।